न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

(225 आर.टी.एक्ट)

अपील सं0 :– 47/2017

उनवान

1. नागेन्द्र पुत्र रामदयाल पौत्र फत्तेराम जाति जाट,
2. विष्णु पुत्र रामदयाल पौत्र फत्तेराम जाति जाट,
3. मंजू पुत्री रामदयाल पौत्री फत्तेराम जाति जाट निवासीयान ग्राम बमनपुरा तहसील कठूमर जिला अलवर राज0

.....सायल/अपीलांटस

बनाम

1. फत्तेराम पुत्र भजनलाल जाति जाट निवासी ग्राम बमनपुरा तहसील कठूमर जिला अलवर राज0
2. उपपंजीयक कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर राज0
3. रतनकुमारी पत्नि श्री जगदीश प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी गोविन्द नगर, अलवर राज0

.....गैरसायल/रेस्पोडेण्टस

उपस्थित :–
1. श्री मूलचन्द चौधरी, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री अनिल गुप्ता, अभिभाषक रेस्पो0।

::: निर्णय :::

दिनांक :–19.02.2020

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी कठूमर के आदेश दिनांक 30.06.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मिन अपीलांट ने विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजस्व वाद मय प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0 काश्त0 अधिनियम इस आशय का पेश किया गया कि आराजी खसरा नम्बर 3 रकबा 1.48 है0, 4 रकबा 0.81 है0 वाके ग्राम बमनपुराप सायलान के पडदादा भजनलाल से ही सायलान के दादा फत्तेराम को विरासत मकें प्राप्त हुई है जो पैत्रिक आराजी है जिसमें सायलान को जन्म से ही हक वो अधिकार प्राप्त हो चुके है जो पैत्रिक आराजी है जिसमें सायलान को जन्म से ही हक वो अधिकार प्राप्त हो चके है। विवादित आराजी में सायलान को 3/56 हिस्सा गैरसायल सं0 1 को 1/56 हिस्सा तरतीवी प्रतिवादी सं0 3–4 व 6ला.8 को 1/7 हिस्सा व 1/2 हिस्सा तरतीवी प्रतिवादी सं0 5 को सायलान के पडदादा भजनलाल के फौत हो जाने पर विरासत में प्राप्त हुई है। विवादित आराजी पर सायलान अपने 3/56 हिस्से पर काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं। तमाम साबिक राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजी की बाबत सायलान के पडदादा भजनलाल व हाल राजस्व रिकार्ड में दादा फत्तेराम के नाम खातेदारी के इन्द्राज हैं। विवादित आराजी विधि विरूद्ध तरीके से गैरसायल संख्या 1 की

खातेदारी में दर्ज चली आ रही है तथा गैरसायल संख्या 1 से सायलान की खातेदारी में दर्ज कराने के लिये कहा तो साफ इंकार कर दिया और उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर आराजी को दीगर लोगों को रहन बय हिबा के मुंतकिल करने की धमकी दी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 30.06.2017 पारित कर खारिज कर दिया। जिस आदेश से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अपीलांट अभिभाषक ने बहस की शुरूआत करते हुए अपील के तथ्यों को दोहराया और अधीनस्थ न्यायालय में पेश वाद के तथ्यों का हवाला देते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश खिलाफ मौका खिलाफ रिकार्ड व खिलाफ कानून है। आराजी खसरा नंबर 3 रकबा 1.48 है0, 4 रकबा 0.81 है0 वाके ग्राम बमनपुरा सायलान के पडदादा भजनलाल से ही सायलान दादा फत्तेराम को विरासत में प्राप्त होना तथा पैतृक आराजी होना पूरी तरह साबित था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नही किया गया। अपीलांटान भजनलाल व फत्तेराम के वारिसान है जिस संबंध में मिन अपीलांटान द्वारा सजरा भी प्रस्तुत किया लेकिन उस सजरे पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नही किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी के हाल राजस्व रिकार्ड व साबिक राजस्व रिकार्ड का अवलोकन नही किया जिससे भी यह पूरी तरह साबित था कि विवादित आराजी फत्तेराम को श्री भजनलाल से विरासत में प्राप्त हुई है। विवादित आराजी अबट आराजी है तथा रेस्पो0 रतनकुमारी स्ट्रेंजर परशन है कानूनन जब तक आराजी का विधिवत बंटवारा नही हो जाता तब तक आराजी किसी भी प्रकार से मुंतकिल नही की जा सकती है। इस प्रकार मिन अपीलांटान के पक्ष में प्रथमदृष्टया केस एवं सुविधा का संतुलन एव ना पूर्ति होने वाली क्षति के बिंदु आयद व साबित थे। जिसके बावजूद भी अधीनस्थ अदालत द्वारा अपीलाधीन आदेश भी पारित किया गया है। विवादित आराजी मिन अपीलांट की पैतृक आराजी है जो जन्म से ही विरासत में प्राप्त हुई है तथा मिन अपीलांटान के पक्ष में पूर्ण रूप से साबित है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर का आदेश दिनांक 30.06.2017 निरस्त फरमाया जाकर रेस्पो0 को पाबंद फरमाया जावे कि वो विवादित आराजी खसरा नंबर 3 रकबा 1.48 है0, 4 रकबा 0.81 है0 वाके ग्राम बमनपुरा तहसील कठूमर से अपीलांटान को जबरन बेदखल कर कब्जा ना करें ना ही किसी प्रकार कार्यकाश्त में कोई रूकावट मजाहमत पैदा ना करें तथा रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत रखे।

जबाव बहस में अभिभाषक रेस्पो0 का कथन है कि विवादित आराजी में अपीलांट सायलान का कोई हक हिस्सा व अधिकार नही है और ना ही कब्जा है। अपीलांट द्वारा तमाम तथ्यों को झूठा व गलत अंकित कराया गया है। विवादित आराजी रेस्पो संख्या 1 के 1/2 हिस्सा की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिस पर रेस्पो0 का ही कब्जा काश्त था जिस रेस्पो0 ने विवादित आराजी में अपने हिस्सा को अपनी गर्ज पूरी करने के लिये रेस्पो0 संख्या 3 को कब्जा देकर व बेचान मद्दे राशि प्राप्त कर दिनांक 08.09.2016 को बेंचान किया है तथा कब्जा दिया है। बाद बेचान से ही रेस्पो0 संख्या 3 विवादित आराजी के 1/2 हिस्सा पर काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है तथा उक्त आराजी के 1/2 हिस्सा पर आज भी रेस्पो0 3 का कब्जा है।बयनामा रेस्पो0 1 ने अपीलांट की सहमति से ही कराया था जिस बयनामा व विवादित आराजी पर रेस्पो0 3 के कब्जा होने की अपीलांट को पूरी तरह से जानकारी थी लेकिन अपीलांट ने रेस्पो0 को जानबूझकर पक्षकार मुकदमा नही बनाया जिस पर रेस्पो0 के प्रार्थना पत्र पर ही रेस्पो0 को

पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। अपीलांट का विवादित आराजी के 3/56 हिस्सा पर कब्जा नही है, अपीलांट नाकाबिज है। नाकाबिज अपीलांट को घोषणात्मक दावा लाने का अधिकार नही है। विवादित आराजी अपीलांट के पडदादा भजनलाल की पैदाकर्दा आराजी नही है। बाबा के जीवित रहते हुये उसके पौत्र पौत्रियों को उसकी खातेदारी की आराजी में खातेदारी की घोषणा कराने का दावा लाने का अधिकार नही है। बाबा के जीवित रहते हुये अपीलांट को खातेदारी अधिकार नही दिये गये हैं। विवादित आराजी से अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 1 का कोई हक हिस्सा व अधिकार नही है। पैतृक आराजी बाबत अपीलांट ने कोई दस्तावेज दावा के साथ पेश नही किया है।विवादित आराजी रेस्पो0 संख्या 1 को अपीलांट के पडदादा से विरासत में प्राप्त नही हुई। उक्त आराजी पैतृक आराजी नही है और ना ही अपीलांट को विवादित आराजी में बाई बर्थ हक हिस्सा व अधिकार पैदा होते हैं। विवादित आराजी रेस्पो0 संख्या 3 की रेस्पो0 संख्या 1 से खरीदशुदा है। अपीलांट के हक हकूकों पर किसी तरह के विपरीत असर नही पड रहे हैं।अपीलांट को 3/56 हिस्सा की आराजी अपने नाम दर्ज कराने का अधिकार नही है। अपीलांट नाकाबिज हैं जिन्हें विवादित आराजी बावत घोषणात्मक दावा लाने व स्टे प्रार्थना पत्र लाने का अधिकार नही है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा अपने समर्थन में निम्न कानूनी नजीरें पेश की।
2009(1) आरआरटी 162, 2017(2) आरआरटी 944, 2017(1) आरआरटी 360.

हमने अभिभाषक अपीलांट व रेस्पो0 के तर्को पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया तथा रेकार्ड एवं पेश दस्तावेज व साक्ष्यों का अवलोकन किया।बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत कानूनी नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पो0 द्वार पेश कानूनी नजीरें इस प्रकरण पर लागू होती हैं क्योंकि विवादित संपत्ति वादी के दादा की थी और उसका पिता जीवित है पिता की मौजूदगी में बंटवारा का दावा करने का अधिकार नही है। स्वतंत्र रूप से हिस्सा प्राप्त करने का कानूनी अधिकार नही है।

जमाबंदी संवत 2048 के अनुसार कुल किता 12 कुल रकबा 38 बीघा 11 बिस्वा भजनलाल पुत्र गिर्राज जाति जाट के नाम दर्ज है। जमाबन्दी संवत 2072 खेवट खतौनी संख्या 74 में कुल खसरा 5 कुल क्षेत्रफल 3.75 है0 फतेराम पुत्र भजनलाल 1/2 हिस्सा एवं बाबूलाल पुत्र भजनलाल 1/2 हिस्सा कौम जाट साकिनदेह खातेदार दर्ज अंकित है। परन्तु पत्रावली में कहीं भी उक्त रकबों का मिलान क्षेत्रफल संलग्न नही है। बिना इस दस्तावेज के साबिक व हाल खसरा नंबर का मिलान नहीं होने के कारण विवादित आराजी का पैतृक आराजी बना जाना प्रमाणित नही है। इन तथ्यों को साबित करने का भार अपीलांट पर है लेकिन अपीलांट द्वारा इसे प्रमाणित करने संबंधित कोई दस्तावेज पत्रावली पर पेश नही किया गया। अपीलांट द्वारा यह दस्तावेज भी पेश नही किया गया कि उनका विवादित आराजी में 3/56 हिस्सा किस आधार पर बनता है। विवादित आराजी पैतृक आराजी बिना दस्तावेज साबित नही है। विवादित आराजी का 1/2 हिस्सा रेस्पो0 संख्या 1 की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी सिने अपनी गर्ज पूरी करने के लिये रेस्पो0 संख्या 3 से जरे वय लेकर, कब्जा देकर बेचान कर दिया तथा विवादित आराजी बाबत दिनांक 08.09.2016 को बयनामा रजिस्टर्ड करा दिया। बाद खरीद से रेस्पो0 विवादित आराजी पर अपीलांट की जानकारी में काबिज रहकर काश्त कर रही है। बयनामा रेस्पो0 संख्या 1 ने अपीलांट की सहमति से कराया था जिस बयनामा की अपीलांट को जानकारी थी। विवादित आराजी पर अपीलांट का कब्जा ना होकर रेस्पो0 संख्या 3 का कब्जा है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने के संबंध में 'कब्जा' मुख्य बिन्दु होता है। उक्त विवेचन के अनुसार कब्जा रेस्पो0 संख्या 3 का साबित है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी कठूमर के आदेश दिनांक 30.06.2017 यथावत रखा जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । निर्णय की प्रति मूल पत्रावली के साथ संलग्न कर तहत न्यायालय को उनकी पत्रावली प्रेषित की जावें ।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर